10/09/2021 वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश की गई जो न्यायहित में स्वीकार की जाने पर पत्रावली ईकजाही पेशी से पूर्व आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने हेतु प्रा० पत्र टी० आई० विड्रा पेश की जो न्यायहित में स्वीकार की जाने पर पत्रावली इसी स्तर पर Drop की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)